कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जबलपुर संभाग, जबलपुर

Phone: 0761-2624390, Fax: 0761-2620950, E-mail: zmagrijab@mp.gov.in

क्रमांक / तक–1 / फार्म रजिस्ट्री / 22023–24 / 2110 जबलपुर, दिनांक 9/09/25

प्रति,

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला कटनी / बालाघाट / नरसिंहपुर / डिण्डौरी / जबलपुर / मण्डला / छिन्दवाड़ा / सिवनी

विषय : AgriStack पहल अंतर्गत भौतिक/ऑफ़लाइन किसान आईडी कार्ड जारी न करने संबंधी।

संदर्भ- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक Z-11021/42/2022-Digital-Part(1) दिनांक 25 अगस्त 2025

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक Z-11021/42/2022-Digital-Part(1) दिनांक 25 अगस्त 2025 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि AgriStack पहल के अंतर्गत डिजिटल किसान आईडी तैयार की जानी है, जिससे किसान रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा।

मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है कि कुछ स्थानों पर CSC/सेवा केंद्र अथवा संबद्ध एजेंसियों द्वारा भौतिक/ऑफ़लाइन किसान आईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि AgriStack अंतर्गत किसी भी प्रकार के भौतिक/ऑफ़लाइन किसान आईडी कार्ड अधिकृत नहीं हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में किसी भी एजेंसी/CSC/सेवा केंद्र को भौतिक/ऑफ़लाइन किसान आईडी कार्ड अथवा उसकी फोटोकॉपी जारी करने, छापने या प्रसारित करने की अनुमति न दी जाए। इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं संबंधित कार्यालयों को इसकी जानकारी देकर आवश्यक कार्यवाही की जाए। किसानों के हितों की सुरक्षा एवं AgriStack पहल की अखंडता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है साथ ही भू अभिलेख से संपर्क कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें

संलग्नः संदर्भित पत्र

संयुक्त संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जबलपुर संभाग, जबलपुर

पृष्ठा. क्रमांक / तक–1 / फार्म रजिस्ट्री / 22023–24 / 2111 जबलपुर, दिनांक 9/09/25

प्रतिलिपि–

कलेक्टर (भू अभिलेख शाखा) जिला कटनी / बालाघाट / नरसिंहपुर / डिण्डौरी / जबलपुर / मण्डला / छिन्दवाड़ा / सिवनी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1435

कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सिवनी (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक/ 1122 /भू.अभि./रा.नि./2025, सिवनी दिनांक 10/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सर्व जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. तहसीलदार सर्व जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। ।

अधीक्षक
भू-अभिलेख, सिवनी

मोद कुमार मेहरदा, भा.प्र.से.
अपर सचिव
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

Dr. Pramod Kumar Meherda, I.A.S.
Additional Secretary
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agricultureand Farmers Welfare
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

D.O. No. Z-11021/42/2022-Digital-Part(1) **Dated: 25th August, 2025**

Dear Madam/Sir,

As you are kindly aware, the **AgriStack** initiative includes generating Digital Farmer IDs to build the **Farmer Registry**.

2. It has meanwhile come to the notice of this Ministry that certain CSCs/Seva Kendras and affiliated agencies in some States are issuing physical/offline "Farmer ID" cards. The Ministry reiterates that **no physical/offline Farmer ID cards have been authorized under Agri Stack**. Such issuance, in the absence of an approved policy or prescribed format, is a matter of serious concern as it is highly vulnerable to misuse for unintended purposes.

3. Given the above, States/UTs are advised not to allow any agency to print, distribute, or circulate Farmer ID cards or photocopies thereof.

4. Further, this advisory may please be disseminated widely to all subordinate offices and CSCs operating in the States/UTs. Your cooperation is essential to safeguard farmers' interests and maintain the integrity and credibility of the AgriStack initiative.

With Regards,

Yours Sincerely,

(Pramod Kumar Meherda)

Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries

Department of Agriculture and Department of Revenue of all States/UTs